Scheduled Castes and Scheduled Tribes in almost all the Medical Colleges.

(b) and (c). Due publicity is given through newspapers and the Prospectus of the College concerned.

Prices of Pure Ghee in Delhi

1215. **Shri A. V. Raghavan:**
Shri Pottekkatt:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the rise in prices of pure ghee in the New Delhi Market; and

(b) what steps Government propose to take to bring down the prices?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) Yes.

(b) It is not proposed to take any direct regulatory measures. It is hoped, however, that the country-wide planned increases in milk production, oilseeds production and dairy development will help relieve the situation indirectly.

Exchange of Animals with Netherlands

1216. **Shri Man Sinh P. Patel:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there was any agreement to exchange tigers and cranes of Delhi Zoological Park for other continental animals with any private firm of Netherlands;

(b) if so, the details thereof; and

(c) how far the agreement has been carried out?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, Sir.

(b) A barter arrangement was made in 1960 by the Delhi Zoological Park with Messrs Van Den Brink, a reputed firm of Holland dealing in animals and birds, for procurement of 6 Macaw Parrots, 24 Pheasants and a pair of Chimpanzees in exchange of one pair of Tiger cubs, 5 Spotted Deer, 35 Saras Crane and 2 pairs of Leopards. The value of the barter deal was Rs. 9,120.

(c) Two Tiger cubs and 20 Saras Cranes valued at Rs. 4,726 were despatched by the Delhi Zoological Park. In return, 13 Pheasants and 6 Macaw Parrots valued at Rs. 3,330 were obtained from the Dutch firm. In view of the Dutch Government's ban on the import of split-hoofed animals into their country, the firm expressed its inability to complete the deal on the lines originally agreed upon. They were prepared to djust the difference either in cash or by supplying other species. It is now proposed to close the deal by obtaining 10 rare Pheasants valued at Rs. 1,396 from the firm to cover the balance outstanding.

Mango crop in Bihar

1217. **Shrimati Ramdulari Sinha:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been exceptionally bumper mango crop throughout the State of Bihar this year;

(b) if so, in what other States there has been similar mango season; and

(c) reasons which have contributed to such good harvest of mangoes?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). This year the mango crop was exceptionally good in certain States for example Bihar. However, the information is being collected from all the States and will be placed on the Table of the Sabha.

गन्ने की कीमत

१२१८. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ के मौसम में किस राज्य में वास्तव में किस दर पर गन्ने के दाम दिये गये हैं;

(ख) एक राज्य से दूसरे राज्य के दाम में अन्तर होने का क्या कारण है;

(ग) प्रत्येक राज्य में गन्ने की खेती में प्रति एकड़ औसतन क्या खर्चा पड़ता है ; और

(घ) किस राज्य में किसानों के गन्ने का कितना दाम बाकी है और उसे भुगतान करने का क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). १९६१–६२ में महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ कर समस्त भारत में गन्ने की मिल के दरवाजे पर पहुंच की न्यूनतम कीमत १ रु० ६२ न० पै० प्रति मन और रेल स्थित केन्द्रों पर १ रु० ५० न० पै० प्रति मन थी। मिलों ने सड़क से गन्ना ले जाने का खर्चा काट कर यही कीमतें चुकाई थीं । पहली मई के बाद पेरे गये गन्ने पर साप्ताहिक उपलब्धि में प्रत्येक ०.१ प्रतिशत की कमी होने से उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में १.५ न० पै० प्रति मन की छूट सप्ताह में ९ प्रतिशत से कम उपलब्धि होने पर दी जाती थी। इस के अतिरिक्त गन्ना उत्पादक, यदि वे इस के हकदार थे तो विलम्बित भुगतान के अधिकारी भी थे। महाराष्ट्र और गुजरात में समेकित कीमत (न्यूनतम कीमत जमा विलम्बित भुगतान) नियत है और पिछली फसल की उपलब्धि के आधार पर १९६१–६२ में मिलों द्वारा दी जाने वाली कीमत यह थी :—

महाराष्ट्र		गुजरात	
	(रुपये प्रति टन)		(रुपये प्रति टन)
११ प्रतिशत से कम उपलब्धि	५२।–	१० प्रतिशत से कम की उपलब्धि	४८।–
११ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन ११.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५३।–	१० प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १०.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५०।–
११.५ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५४।–	१०.५ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन ११ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५२।–
१२ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५५।–	११ प्रतिशत और इससे अधिक किन्तु ११.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५३।–
१२.५ प्रतिशत और इससे अधिक की उपलब्धि	५६।–	११.५ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२ प्रनिशत से कम को उपलब्धि	५४।–
		१२ प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन १२.५ प्रतिशत से कम की उपलब्धि	५५।–
		१२.५ प्रतिशत और इससे अधिक की उपलब्धि	५६।–

(ग) प्रत्येक राज्य में गन्ने के उत्पादन के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(घ) १५ जुलाई १९६२ को १९६१–६२ की फसल की अपेक्षित सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]

गन्ने की पिछली शेष कीमत का शीघ्र भुगतान करने के लिये राज्य सरकारों को कह दिया गया है ।